

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-४/आ० वि० (संघा०)-०१-०२/२०१७- 86

156

प्रेषक,
वीरेन्द्र कुमार (भा० प्र० से०)
निदेशक।

सेवा में,
जिला कल्याण पदाधिकारी
गया, एवं सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक- 16.11.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों, के संधारणार्थ विद्युत प्रभार एवं सामग्री आपूर्ति मद में ₹67,00,000/- (सड़सठ लाख रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवंटनादेश संख्या-08 दिनांक-22.05.2017 द्वारा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक-1716, दिनांक-19.09.2017, एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-466, दिनांक-03.07.2017, द्वारा मॉगी गई अतिरिक्त राशि के आलोक में विद्युत प्रभार एवं सामग्री आपूर्ति मद में पुरे वर्ष के लिए कुल ₹67,00,000/- (सड़सठ लाख रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष मांग संख्या-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0003-आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या-44-2225012770003 कूट संख्या 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियों के अंतर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक- एम०-4-05/98-2607/बि(2) दिनांक-20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

6- सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।


55)

-2-

ज्ञापक- 4/आ0 वि0 (संघा0)- 01-02/2017- 86

पटना, दिनांक - 16.11.17

प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, /संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी, /संबंधित उप विकास आयुक्त, /संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, /आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के स्थापनाार्थ पूरे वर्ष के लिए विधुत प्रभार एवं सामग्री आपूर्ति मद में आवंटित राशि की विवरणी।

क्र०	विद्यालय का नाम	विधुत प्रभार	सामग्री आपूर्ति	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	+2 अनु० जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मानपुर, गया।	300000	0	300000
2	+2 अनु० जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, वजीरगंज, गया।	300000	0	300000
3	+2 अनु० जाति आवासीय उच्च विद्यालय, राधोपुर, बखरी, सीतामढ़ी।	0	6100000	6100000
	कुल-	600000	6100000	6700000

(सदस्य लाख रुपये मात्र)

पत्रांक-86 दिनांक-16.11.17का अनुलग्नक।


निदेशक 1111X

57